

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समसा, समस्त जिले
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी(समस्त ब्लॉक),
- समस्त PEEO/UCEEO
- समस्त संस्था प्रधान(सरकारी एवं निजी विद्यालय )

**विषय :-** 'आजादी का अमृत महोत्सव' अन्तर्गत दिनांक 12 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाले एक समय देशभक्ति गायन कार्यक्रम के संभागियों की संख्यात्मक सूचना शाला दर्पण पोर्टल एवं प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर प्रविष्टि के सम्बन्ध में।

**प्रसंग :-** शिविरा/माध्य/मा-स/AKAM/2022 दिनांक 30.07.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि, राज्य सरकार के निर्देशानुसार 'आजादी का अमृत महोत्सव' अन्तर्गत दिनांक 12 अगस्त, 2022 को प्रातः 10.15 बजे से राजस्थान राज्य के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में देशभक्ति के गीतों के गायन का कार्यक्रम राज्य, जिला एवं ब्लॉक तथा स्कूल स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

उक्त कार्यक्रम को वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु इसमें भाग लेने वाले संभागियों का डाटा संकलन शाला दर्पण पोर्टल एवं प्राईवेट स्कूल पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिये दिनांक 12.08.2022 को प्रातः से दोनो पोर्टल पर पॉप-अप विण्डो प्रारम्भ की जायेगी जिसमें कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त संभागियों (विद्यार्थियों, स्टॉफ, अभिभावक/आगन्तुक अतिथि) की डाटा प्रविष्टि की जानी है। इसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स राज्य, जिला, ब्लॉक कार्यालयों के शाला दर्पण लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जायेंगी।


अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 12.08.2022 को प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुये निम्नानुसार पॉप-अप विण्डों में प्रातः 11.30 बजे तक अनिवार्यतः शत प्रतिशत प्रविष्टियां सुनिश्चित करावें।

क्र.स.	कार्यक्रम स्तर	कार्यक्रम का स्थान	जिनके द्वारा प्रविष्टियां की जायेगी
1	राज्य स्तर	सवाईमानसिंह स्टेडियम, जयपुर	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर के शाला दर्पण लॉगिन से।
2	जिला स्तर	जिला मुख्यालय	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जिला के शाला दर्पण लॉगिन से।
3	ब्लॉक स्तर	ब्लॉक के सबसे बड़े स्टेडियम अथवा सबसे बड़े विद्यालय का खेल मैदान	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित ब्लॉक के शाला दर्पण लॉगिन से।
4	विद्यालय स्तर	विद्यालय के प्रार्थना स्थल या ऐसा स्थान जहां पर विद्यालय स्तरीय बालसभा आयोजित की जाती है।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• समस्त PEEO/UCEEO के द्वारा स्वयं के विद्यालय के साथ-साथ अधिनस्थ विद्यालयों की प्रविष्टि स्वयं के शाला दर्पण लॉगिन से की जायेगी।</li> <li>• उक्त के अतिरिक्त शेष रा.उ.मा.वि./संस्कृत शिक्षा/TADविद्यालय/SJE विद्यालय/अल्पसंख्यक विभाग के विद्यालय एवं समस्त निजी विद्यालयों द्वारा अपने विद्यालय की प्रविष्टि स्वयं के शाला दर्पण/PSP पोर्टल लॉगिन से की जायेगी।</li> </ul>

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प./जय/शालादर्पण/2022/1609  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक :- 08/08/2022

1. निजी सचिव, अतिरिक्त प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राज.।
2. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
4. उपायुक्त (PSP), राज. स्कूल शिक्षा परिषद्-जयपुर को निजी विद्यालयों द्वारा मॉड्यूल में शत-प्रतिशत प्रविष्टियां सुनिश्चित करवाने एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी-शिक्षा संकुल जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग, राजस्थान।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि./मा.शि., <sup>समस्त</sup> राजस्थान को देकर लेख है कि प्रभावी मॉनीटरिंग कराते हुये समस्त विद्यालयों एवं कार्यालयों से शत प्रतिशत प्रविष्टियों करवाया जाना सुनिश्चित करे।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, समस्त जिले, राजस्थान।
9. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, राज. स्कूल शिक्षा परिषद्-जयपुर को OIC के रूप में आवंटित जिलों में प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु।
10. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, मा.शि./प्रा.शि. राजस्थान बीकानेर।
11. समस्त संस्था प्रधान संस्कृत शिक्षा/TAD विद्यालय/SJE विद्यालय/अल्पसंख्यक मामलात विभाग के विद्यालय
12. रक्षित पत्रावली।

  
M. L. Sharma  
अति.राज्य परियोजना निदेशक